Central Goods & Services Tax Act, 2017

Section 71: Access to business premises

- (1) Any officer under this Act, authorised by the proper officer not below the rank of Joint Commissioner, shall have access to any place of business of a registered person to inspect books of account, documents, computers, computer programs, computer software whether installed in a computer or otherwise and such other things as he may require and which may be available at such place, for the purposes of carrying out any audit, scrutiny, verification and checks as may be necessary to safeguard the interest of revenue.
- (2) Every person in charge of place referred to in sub-section (1) shall, on demand, make available to the officer authorised under sub-section (1) or the audit party deputed by the proper officer or a cost accountant or chartered accountant nominated under section 66—
 - (i) such records as prepared or maintained by the registered person and declared to the proper officer in such manner as may be prescribed;
 - (ii) trial balance or its equivalent;
 - (i) statements of annual financial accounts, duly audited, wherever required;
 - (iv) cost audit report, if any, under section 148 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013);
 - (v) the income-tax audit report, if any, under section 44AB of the Incometax Act, 1961 (43 of 1961); and
 - (vi) any other relevant record,

for the scrutiny by the officer or audit party or the chartered accountant or cost accountant within a period not exceeding fifteen working days from the day when such demand is made, or such further period as may be allowed by the said officer or the audit party or the chartered accountant or cost accountant.

धारा 71 : कारबार परिसरों तक पहुंच

- (1) संयुक्त आयुक्त से अन्यून पंक्ति के समुचित अधिकारी द्वारा इस अधिनियम के अधीन प्राधिकृत किसी अधिकारी की किसी ऐसी लेखापरीक्षा, संवीक्षा, सत्यापन और जांच, जो राजस्व के हितों की सुरक्षा के लिए आवश्यक हो, को करने के प्रयोजनों के लिए किसी रिजस्ट्रीकृत व्यक्ति के कारबार के किसी स्थान तक लेखाबहियां, दस्तावेजों, कम्प्यूटरों, कम्प्यूटर प्रोग्रामों, कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर, चाहे किसी कम्प्यूटर में प्रतिष्ठापित हो या अन्यथा के निरीक्षण के लिए और ऐसी अन्य चीजों तक, जिनकी वह अपेक्षा करे और जो ऐसे स्थान पर उपलब्ध हों, पर पहुंच होगी।
- (2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट स्थान का प्रत्येक प्रभारी व्यक्ति मांग किए जाने पर उपधारा (1) के अधीन प्राधिकृत अधिकारी को या समुचित अधिकारी द्वारा तैनात लेखापरीक्षा दल या धारा 66 के अधीन नामनिर्दिष्ट लागत लेखापाल या चार्टर्ड अकाउंटेंट को—
 - (i) ऐसे अभिलेख, जिन्हें रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा तैयार किया गया या रखा गया है और समुचित अधिकारी को ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, घोषित किया गया है ;
 - (ii) शेष परीक्षण पत्र या उसका समतुल्य;
 - (iii) सम्यकृतः लेखा परीक्षित वित्तीय लेखाओं का विवरण, जहां अपेक्षित हो;
 - (iv) कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 148 के अधीन लागत लेखापरीक्षा रिपोर्ट, यदि कोई हो;
 - (v) आय—कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 44कख के अधीन आय—कर लेखापरीक्षा रिपोर्ट, यदि कोई हो; और
 - (vi) कोई अन्य सुसंगत अभिलेख,

उनके अधिकारी या लेखापरीक्षा दल या चार्टर्ड अकाउंटेंट या लागत लेखापाल द्वारा संवीक्षा करने के लिए, उस दिन से, जिसको ऐसी मांग की गई थी, पन्द्रह कार्य दिवस से अनिधक अविध के भीतर या ऐसी और अविध, जो उक्त अधिकारी या लेखापरीक्षा दल या चार्टर्ड अकाउंटेंट या लागत लेखापाल द्वारा अनुज्ञात की जाए, उपलब्ध कराएगा।

www.cggst.com